

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 32/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/114

अनवान

1. करमा पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाशी पुत्री लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नेना पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. फुली पत्नि लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरसिंह पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजु पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सबा पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र भग्गा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. माना पुत्र भावसिंह बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोदु पुत्र भग्गा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पुत्र लेहरू बलाई निवासी डागडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. साबुड़ी पुत्री लखा बंजारा निवासी चतरपुरा (कोशीथल) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 से 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 4/12/2025


1. संक्षिप्त में आवेदन के सुरसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम डागडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 849 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 852 रकबा 0.38 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है भूमि खाता संख्या 131 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमावंदी संवत् 2073 से 2076 तक की गयी नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं।



सहायक कमिश्नर
(पत्थरगढ़ी) रायपुर

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने यावत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम वार दिनांक 26.01.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।
3. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 से 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 18.11.2025 को अमल मलाई गई एवं विपक्षी संख्या 6 औपचारिक पक्षकार है।
4. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डागडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 849 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 852 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि खाता संख्या 131 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।
5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम डागडी पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 849 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 852 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि खाता संख्या 131 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमावंदी मय नक्शा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमावन्दी संवत 2073-2076 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।




 सहायक कमिश्नर
 (राजस्व, रायपुर)

::- आदेश -::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम डागड़ी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के चैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 849 रकबा 0.27 है०, आराजी संख्या 852 रकबा 0.38 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है० भूमि खाता संख्या 131 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित कराया हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला, भीलवाड़ा
(रा.डी.ओ.) रायपुर

आदेश आज दिनांक 4/12/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला, भीलवाड़ा
(रा.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 32/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/114

अनवान

1. करमा पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाशी पुत्री लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नेना पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. फुली पत्नि लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरसिंह पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजु पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सबा पुत्र लखा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र भग्गा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. माना पुत्र भावसिंह बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोदु पुत्र भग्गा बंजारा निवासी जोडलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पुत्र लेहरू बलाई निवासी डागडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. साबुडी पुत्री लखा बंजारा निवासी चतरपुरा (कोशीथल) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.12.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम डागडी पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 849 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 852 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि खाता संख्या 131 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो विना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/25 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर, भीलवाड़ा